



भारत सरकार
Government of India
खान मंत्रालय
Ministry of Mines
भारतीय खान ब्यूरो

Indian Bureau of Mines

Mine Code: 38RAJ09005

माखुपूरा औद्वोगिक क्षेत्र,

Makhupura Industrial Area
अजमेर.—305 002 (राजस्थान)

Ajmer- 305 002 (Rajasthan)
फैक्स नं 0145.2695202 फोन नं 2695165

दिनांक: 14.10.2021

संख्या : RAJ/CHT/LST-2 Vol-III

प्रेषित : मेसर्स जेके सीमेंट लिमिटेड,

जे.के. सीमेंट वर्क्स,

कैलाश नगर- 312617 ,निम्बाहेरा, जिला-चित्तौडगढ (राजस्थान)

ईमेल- manish.toshniwal@jkcement.com

विषय: Violation of provisions of Mineral Conservation & Development Rules, 2017 in respect of your

Nimbahera JK Cement Limestone Mine (M.L. 2/97, Lease area 403.1875 Hect.) in Chittaurgarh

District of Rajasthan State.

महोदय,

The following provisions of the Mineral Conservation and Development Rules, 2017 were found violated in your above mine during the inspection made on 29.09.2021 by the undersigned in presence of Sh.Manish

Toshniwal, Mine Agent:

I Oshin wai, with e Agent.	
Rule No.	Nature of violation observed in detail
Rule 11(1)	The mining operations are carried out in violation of following provisions of approved Review of Mining Plan (Approved on 06.12.2019): -  (i) During the year 2020-21, Plantation has not been carried out on proposed location.
Rule 45(7)	<ol> <li>In annual return 2020-21 following descripencies were observed:         <ol> <li>In item 4 of part-III depreciation showed Rs 116518938 so per tonne cost should be Rs 167.09 under head of depreciation whereas in Part VII you have reported Rs.0 per tonne under head of depreciation.</li> </ol> </li> <li>In Part VII Cost of production, Interest cost per tonne shown Rs. 0 whereas under item 3 of Part-IIA Rs. 2150172012 expenditure shown under head 'Interest'.</li> </ol> <li>Cost of production per tonne in part VII is not matching with expenditure details given in Part IIA &amp; Part III.</li>

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अंतर्गत :

(क) आपकी खदान की सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती है।

(ख) आपके विरूध्द अभियोग दायर किया जा सकता है।

(ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है। 03. अतः आपको यह निर्देशित किया जाता है कि आप आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की

सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित करें।

भवदीय

016

भागीय बी. एल. कोटड़ीवाला क्षेत्रीय खान नियंत्रक भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :— 1 खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर (ई मेल द्वारा)। 2 निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर, राजस्थान। 3 सहायक खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, निम्बाहेड़ा जिला-चितोडगढ़।

4 रक्षित पत्रावली।

010

भारतीय खान ब्यूरो